न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–19/2023

अंजुम आरा.....वादिनी

बनाम

मंजुम आरा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
17.09.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादिनी की तरफ से दो आवेदन दिनांक 23.04.2025 अंदर आदेश 22 नियम 04 एवं दिनांक 04.09.2025 दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 17.09.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता आवेदन दिनांक 23.04.2025 में निवेदन करते है कि प्रतिवादी सं0–02 शबनम आरा का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और प्रतिवादी सं0–02 शबनम आरा की मृत्यु दिनांक 05.03.2025 को हो गयी। प्रतिवादी सं0–02 की मृत्यु मोकदमा के दौरान दिनांक 05.03.2025 को हो गयी। शबनम आरा अपने पति आजम खाँ, पुत्री नूर शब्बा और पुत्र शहबाज खाँ एवं सद्दाब खाँ को छोड़कर मर गयी। शबनम आरा के विधिक वारिसान इस वाद के आवश्यक पक्षकार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–02 शबनम आरा का नाम कलमजद करते हुए उनके जगह पर उनके विधिक वारिसानों को उनके जगह प्रतिस्थापित करने का आदेश देने की कृपा किया जाए। <u>प्रतिवादी सं0–02 शबनम आरा के वारिसानों का विवरण</u>:– 1.आजम खॉ, पिता–रेयाज खाँ साकिन–डैनमरवा, पो0–डैनमरवा, थाना–रामनगर, थाना–रामनगर, जिला–प0 चम्पारण, 2. नूर शब्बा, पति–इरशाद खाँ, ग्राम–पिडारी, वार्ड नं0–03, पो0–पिडारी, थाना–इनरवा, जिला–प0 चम्पारण, 3. शहबाज अली खाँ, पिता–आजम खाँ, 4. शदाब अली खॉ, पिता–आजम खाँ दोनों साकिनान–डैनमरवा, पो0–डैनमरवा, थाना–रामनगर, जिला–प0 चम्पारण। प्रतिवादीगण की ओर से वादिनी के आवेदन अंदर आदेश 22 नियम 04 का प्रतिउत्तर दिनांक 30.06.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि मुदईया का आवेदन खारिज होने योग्य है। मुदईया ने आवेदन में	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–19/2023

अंजुम आरा.....वादिनी

बनाम

मंजुम आरा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 17.09.2025	आदेश 22 नियम 04 उद्धृत किया गया है लेकिन व्य0प्र0सं0 नहीं लिखा है जबकि व्य0प्र0सं0 लिखना जरूरी है। लिहाजा केवल इसी आधार पर मुदईया का आवेदन खारिज होने योग्य है। आवेदन के पारा नं0–03 में शबनम आरा के पुत्र का नाम शाहबाज खां एवं शदाब खां लिखा गया है तथा अंत में शाहबाज अली खां और सदाब अली खां लिखा गया है। इस प्रकार प्रतिस्थापना मुदालहम के नाम में अंतर है। मुदालह सं0 02 शबनम आरा के वारिसानों के नाम और पता के बाद क्रमांक 01 से 04 अंकित किया गया है जबकि 2(क) से 2(घ) अंकित होना चाहिए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादिनी का आवेदन खारिज करने की कृपा करें। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता आवेदन दिनांक 04.09.2025 में निवेदन करते है कि वादिनी ने दिनांक 23.04.2025 को आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 के तहत आवेदन दाखिल किया था जिसमें प्रतिवादी सं0–03 का प्रत्युत्तर दिनांक 30.06.2025 को दाखिल हुआ है। वादिनी के उपरोक्त आवेदन में टंकक द्वारा प्रतिवादी सं0–02 के वारिसानों का नाम तो सही अंकित किया गया है परन्तु क्रम सं0 गलत अंकित हो गया है, सही क्रमवार प्रतिवादी सं0–02 के वारिसान निम्नलिखित है– 2(क) आजम खॉ, पिता–रेयाज खाँ, साकिन–डैनमरवा, पो0–डैनमरवा, थाना–रामनगर, थाना–रामनगर, जिला–प0 चम्पारण, 2(ख) नूर शब्बा, पति–इरशाद खाँ, ग्राम–पिडारी, वार्ड नं0–03, पो0–पिडारी, थाना–इनरवा, जिला–प0 चम्पारण, 2(ग) शहबाज अली खाँ, पिता–आजम खाँ, 2(घ) शदाब अली खॉ, पिता–आजम खाँ दोनों साकिनान–डैनमरवा, पो0–डैनमरवा, थाना–रामनगर, जिला–प0 चम्पारण। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि टंकक के द्वारा भूलवश की गई टाइपिंग को उपरोक्त सही क्रमवार वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश देने की कृपा करे।	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–19/2023

अंजुम आरा.....वादिनी

बनाम

मंजुम आरा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 17.09.2025	प्रतिवादीगण ने वादिनी के आवेदन का मौखिक विरोध किया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी ने दो आवेदन दिनांक 23.04.2025 अंदर आदेश 22 नियम 04 एवं दिनांक 04.09.2025 दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। वादिनी ने आवेदन अंदर आदेश 22 नियम 04 के तहत निवेदन किया है कि मृत प्रतिवादी सं0–02 शबनम आरा का नाम कलमजद करते हुए उनके जगह पर उनके विधिक वारिसानों को उनके जगह प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान करें एवं दफा 151 के तहत निवेदन किया है कि टंकक के द्वारा भूलवश की गई टाइपिंग को उपरोक्त सही क्रमवार वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी का दोनों आवेदन न्यायसंगत है और इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में वादिनी का आवेदन दिनांक 23.04.2025 अंदर आदेश 22 नियम 04 एवं दिनांक 04.09.2025 दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को स्वीकृत किया जाता है एवं वादिनी को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में मृत प्रतिवादी शबनम आरा का नाम कलमजद करते हुए उनके जगह पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें। वाद दिनांक 11.11.2025 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	